

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक

सुशांत झा,

विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर

/पटना, दिनांक 15-1-2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष- 02- तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104-बहुशिल्प, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0109-पोलिटेकनिक (निश्चय) (विपत्र कोड 43-4202021040109) के अधीन रु. 1,56,00,000=00 (एक करोड़ छप्पन लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-51, दिनांक 04.01.2019 के द्वारा विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, मुंगेर में वर्गकक्ष, कर्मशाला एवं विभिन्न प्रयागशालाओं के लिए आवश्यकता आधारित मशीनें, उपकरण, उपस्कर, सॉफ्टवेयर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रु. 1,56,00,000=00 (एक करोड़ छप्पन लाख रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन 52 01 मशीनें एवं उपस्कर- कार्यालय तथा 52 02 मशीनें एवं उपस्कर- अन्य विषयशीर्षों के अधीन उपबंधित राशि से कुल रु. 1,56,00,000=00 (एक करोड़ छप्पन लाख रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है-

क्र. सं.	विषयशीर्ष	आवंटित राशि (रूपये में)
1	52 01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय	30,00,000=00
2	52 02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य	1,26,00,000=00
	कुल	1,56,00,000=00

- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561/वि.(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक-6115, दिनांक 13.08.2018 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों एवं वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।
- उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।
- विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।
- स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।
- टी. भी. न. एवं तिथि सहित व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

15/1/19
(सुशांत झा)
विशेष सचिव

15/01/19